Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited
Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur
CIN: U40109RJ2000SGC016486
प्रभास्मि शशि सूर्यायः **Website: www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl**

Public Notice under Section 64 (2) of the Electricity Act, 2003

Notice is hereby given that the **M/s Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited (JVVNL), Jaipur** on behalf of M/s Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited (JVVNL), Jaipur, M/s Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited (AVVNL), Ajmer and M/s Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited (JdVVNL), Jodhpur (also referred as Discoms) has filed a petition No. 1799/20 before the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (RERC) under section 181 of Electricity Act, 2003 read with Regulation 93 of RERC (Terms & Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2019 as amended from time to time for applicability of Parallel Operation Charges on captive consumer of Rajasthan for FY 2019-20.

Further, JVVNL. AVVNL, & JdVVNL have also filed petition No. 1841/20, 1842/20, & 1843/20 respectively for determination of MYT ARR , Tariff & Investment plan approval for remaining control period FY 2020-21 to FY 2023-24, wherein Discoms have also proposed Parallel Operation Charges for FY 2020-21 with same applicability as proposed for FY 2019-20. Therefore, proposal of parallel operation charges for FY 2020-21 shall also be dealt with the petition No. 1799/20.

Copies of the petitions are available for inspection/perusal and sale on payment of Rs. 100/- for petition No.1799/20 and relevant portion of petition No. 1841/20, 1842/20 & 1843/20 in the Commission office and at the following places:

1. Head office of the JVVNL, Vidhyut Bhawan, Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur.
2. Head office of the AVVNL, Vidhyut Bhawan, Makarwadi Road, Panchsheel Nagar, Ajmer.
3. Head office of the JdVVNL, New Power House, Basni, Jodhpur

The petitions are also available at on Nigam's website www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl, www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl and also on RERC website www.rerc.rajasthan.gov.in.
An audio visual presentation of the petition will be arranged by JVVNL on dt. 08.02.2021, 09.02.2021 & 10.02.2021 at Conference Hall, Vidyut Bhawan, Jaipur following necessary COVID protocols. Interested person may attend the audio visual presentation for which they have to forward their mail id and mobile No. on the mail id sera@jvvnl.orgon or before 06.02.2021 so that date & time to all interested person may be intimated accordingly.

Persons desirous to file comments/suggestions on the proposal for levy of parallel operation charges may file with the Receiving Officer, RERC, Viniyamak Bhawan, Shakar Marg, Jaipur-302001 with supporting details and an affidavit in form-3 of RERC (Transaction Of Business) Regulations 2005, in six copies, so as to reach the Receiving Officer by 26.02.2021.

A brief summary of the salient points of the petitions for Parallel Operation Charges for FY 2019-20 & FY 2020-21 to be levied on captive consumer of Rajasthan is given below.

1. Proposed applicability of parallel operation charges:

The Petitioner has proposed that HT consumers having Captive Power Plants, with captive loads, except those using renewable energy systems, opting for parallel operation with the grid in the State, shall be liable to pay Parallel Operation Charges.
Provided that such charges shall be applicable for consumers having captive generating stations at their premises (on-site captive) and not for those consumers with an off-site captive generating station".

Proposed rate of parallel operation charges for FY 2019-20 & FY 2020-21

Rate of parallel operation charges for FY 2019-20 (petition No. 1799/20)	Rs. 20/kVA/month
Rate of parallel operation charges for FY 2020-21 (petition No. 1841/20,1842/20 & 1843/20)	Rs. 20/kVA/month

Superintending Engineer(Regulation)

सार्वजनिक सूचना विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64(2) के तहत

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (ज.वि.वि.नि.लि.) ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (ज.वि.वि.नि.लि.),जयपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (अ.वि.वि.नि.लि.),अजमेर,, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. (जेडी.वि.वि.नि.लि.),जोधपुर (डिस्कॉम के रूप में भी संदर्भित) की ओर से वर्ष 2019–20 के लिए कैप्टिव पावर प्लांट पर लागू समानांतर संचालन प्रभार के लिए याचिका संख्या 1799/20, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 181 और अनुच्छेद 93 सपठित रा.वि.वि.आ. (टैरिफ के निर्धारण की निबन्धन एवं शर्ते) विनियम 2019 एवम समय–समय पर संशोधित के अन्तर्गत, दायर की है।

इसके अलावा, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल ने शेष नियंत्रण अवधि के लिए वित वर्ष 2020–21 से वित वर्ष 23–24 के लिए एमवाईटी एआरआर , टैरिफ और निवेश योजना अनुमोदन के लिए क्रमशः याचिका संख्या 1841/20, 1842/20 और 1843/20 भी दायर की है, जिसमें डिस्कॉम वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रस्तावित प्रयोज्यता के समान वित वर्ष 2020–21 के लिए समानांतर संचालन शुल्क भी प्रस्तावित किया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए समानांतर संचालन शुल्क का प्रस्ताव भी याचिका संख्या 1799/20 के साथ निपटाया जाएगा।

याचिका संख्या 1799/20 एवम याचिका संख्या 1841/20, 1842/20 और 1843/20 की उपयुक्त हिस्से की प्रतियां निरीक्षण/अवलोकन के लिए और विक्रय के लिए 100 रू. के भुगतान पर आयोग कार्यालय एवं निम्नांकित स्थानों पर उपलब्ध हैं।

1. जेवीवीएनएल का मुख्यालय, विद्युत भवन जनपथ, ज्योति नगर , जयपुर।
2. एवीवीएनएल का मुख्यालय, विद्युत भवन, मकरवाडी रोड, पंचशील नगर , अजमेर।
3. जेडीवीवीएनएल का मुख्यालय, न्यू पावर हाउस, बासनी, जोधपुर।

याचिकाएें निगमों की वेब साइट www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl, www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl और रा.वि.वि.आ. की वेब साइट www.rerc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। याचिका की ऑडियो विजुअल प्रस्तुति की व्यवस्था जेवीवीएनएल द्वारा दिनांक 08.02.2021, 09.02.2021 और 10.02.2021 को कॉन्फ्रेंस हॉल, विद्युत भवन, जयपुर में आवश्यक कोविड प्रोटोकॉल के तहत की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए उन्हें मेंल आईडी sera@jvvnl.org पर दिनांक 06.02.2021 से पहले अपनी मेल आईडी और मोबाईल नंबर फॉरवार्ड करना होगा, ताकि सभी इच्छुक व्यक्ति को तदनुसार तारीख और समय सूचित किया जा सके।

समानांतर संचालन शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर टिप्पणीयां/सुझाव भेजने के इच्छुक व्यक्ति रा.वि.वि.आ. (कार्य सम्पादन) विनियम 2005 के फार्म सं. 3 में शपथ पत्र सहित विस्तृत विवरण छः प्रतियों में इस प्रकार भेजें कि प्राप्ति अधिकारी, रा.वि.वि.आ., विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर–302001 के पास दिनांक 26 फरवरी 2021 तक पहुंच जाए।

वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कैप्टिव उपभोक्ता पर मान्य समानांतर संचालन शुल्क के लिए याचिकाओं के मुख्य बिंदुओं का एक संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है :

1. **समानांतर संचालन प्रभार की प्रस्तावित प्रयोज्यता:**

   याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित किया है कि कैप्टिव पावर प्लांटस वाले, कैप्टिव भार वाले एचटी उपभोक्ताओं में, अक्षय उर्जा प्रणालियों का उपयोग करने वालों को छोड़कर, राज्य में ग्रिड के साथ समानान्तर संचालन के लिए समानान्तर संचालन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

   बशर्ते कि ऐसे शुल्क उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगें जिनके कैप्टिव जनरेटिंग स्टेशन उनके परिसर में (ऑन–साईट कैप्टिव) है और ऑफ साइट कैप्टिव जनरेटिंग स्टेशन वाले उपभोक्ताओं के लिए नही है

वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए समानांतर संचालन शुल्क की प्रस्तावित दर

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए समानांतर संचालन शुल्क की दर (याचिका संख्या 1799/20)	रू 20/ केवीए/ महीना
वित्त वर्ष 2020–21 के लिए समानांतर संचालन शुल्क की दर (याचिका संख्या 1841/20, 1842/20 और 1843/20)	रू 20/ केवीए/ महीना

अधीक्षण अभियन्ता (रेगूलेशन)